



149

## माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण कमांक: / 13-14 निजी/निजी निज-1685-PBR-14.

श्री. राजेश शर्मा, म०प्र०  
द्वारा आज 3-6-14  
प्रस्तुत  
केलक 3-6-14  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

रोशनलाल पुत्र आनन्दीलाल निवासी माता  
के मंदिर के पास, लधेडी, ग्वालियर म०प्र०

निगरदानीकर्ता

बनाम

- 1- रामकिशोर पुत्र स्व. राम प्रसाद
- 2- शिवचरण पुत्र स्व. राम प्रसाद
- 3- धन्नलाल तथा कथित दत्तक पुत्र सीताराम
- 4- भगवान दास पुत्र मंगलिया सभी निवासीगण  
माता के मंदिर के पास, लधेडी, ग्वालियर
- 5- श्रीमती साधना सिंह

प्रतिप्राथीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश  
अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर पारित प्रकरण कमांक 61/11-12

अपील पारित आदेश दिनांक 20-12-2013



3-6-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1685-पीबीआर/2014

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अजय शर्मा, अनावेदक क्र. 1, 2 व 4 की ओर से श्री एन.डी. शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित एवं क्र. 3 की ओर से श्री धीरज तिवारी, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष दिनांक 07.01.2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> 23/</p> <p> (मनोज गौयल) अध्यक्ष</p>	